POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 09.03.2026

षड़यन्त्र कर बालक के अपहरण की भ्रामक सूचना देने वाले 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, बालक सकुशल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -70/2026 धारा-248/61(1)a/137(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित 03 अभियुक्त 1. बजरंगी बिन्द पुत्र राममनोहर बिन्द निवासी बौढ़ई कटौता थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज 2. कमलेश कुमार बिन्द पुत्र मेहीलाल निवासी ग्राम कोठरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ 3. अखिलेश कुमार पुत्र मेहीलाल निवासी ग्राम कोठरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ व 01 अभियुक्ता 4. राधिका बिन्द पत्नी बजरंगी बिन्द निवासिनी ग्राम बौढ़ई कटौता थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-09.03.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत परासिनपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। बालक को सकुशल बरामद कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कमलेश बिन्द उपरोक्त का अपनी पत्नी के साथ विवाद के कारण बालक के पालन पोषण हेतु कमलेश बिन्द उपरोक्त द्वारा अपने पुत्र को जीजा बजरंगी बिन्द के यहां घर पर रखा गया था। दिनांक-07.03.2026 को बालक की मौसी ने थाना फूलपुर पर बालक की मां के साथ पुत्र को बजरंगी बिंद से दिलवाने के संबन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, बालक के पिता कमलेश बिंद सूरत में होने के कारण बजरंगी बिंद ने बालक का निर्णय उसके पिता कमलेश बिंद की उपस्थिति में कराए जाने के लिए कहा जाने लगा। काफी समझाने के बाद भी बजरंगी बिंद द्वारा बालक संघर्ष कुमार को वापस न किए जाने पर बजरंगी बिंद का चालान अंतर्गत धारा-170 भा0ना0सु0सं0 में किया गया। बालक के पिता कमलेश बिन्द उपरोक्त द्वारा अपने जीजा, बहन व अपने भाई के साथ मिलकर बालक को कही छिपाकर मां व उसकी मौसी के द्वारा बालक के अपहरण कर लेने की भ्रामक खबर फैलाने की योजना बनायी गयी, जिससे बालक की मां को बालक से अलग रखा जा सके। योजना के तहत दिनांक-08.03.2026 को बालक के अपहरण होने की सूचना थाना फूलपुर पर दी गयी, बालक के सकुशल बरामदगी हेतु थाना फूलपुर पुलिस द्वारा टीम का गठन कर बालक को सकुशल बरामद किया गया तथा भ्रामक व झूठी सूचना देने के लिये उपरोक्त अभियुक्तों को विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-70/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-

1. बजरंगी बिन्द पुत्र राममनोहर बिन्द निवासी बौढ़ई कटौता थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. राधिका बिन्द पत्नी बजरंगी बिन्द निवासिनी ग्राम बौढ़ई कटौता थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 28 वर्ष।
3. कमलेश कुमार बिन्द पुत्र मेहीलाल निवासी ग्राम कोठरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।
4. अखिलेश कुमार पुत्र मेहीलाल निवासी ग्राम कोठरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 -70/2026 धारा-248/61(1)a/137(2) भा0न्या0सं0 थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 शेषनाथ पाल, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 सौरभ पाण्डेय, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 गिरीश चन्द्र मौर्य, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 विक्रान्त कुमार तिवारी, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 श्रीश कुमार मिश्रा, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।